(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उप–खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 78/2023
दिनांकः 16 मार्च, 2024

विशयः आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 2 के तहत बतख के मांस के लिए आयात नीतिगत भार्त में सं ोधन।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा सं ोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व अधिसूचना 66/2023 दिनांक 06 मार्च, 2024 की निरंतरता में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 2 के आईटीसी (एचएस) कोड 02074200 और 02074500 के तहत आयात नीतिगत भार्त में निम्नानुसार सं ोधन करती हैः

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीतिगत भार्त	संशोधित आयात नीतिगत भार्त
02074200	–बतखों का : –– टुकड़ों में कटा हुआ नहीं, प्र ीतित	डीएएचडी का.ज्ञा. सं. एल–110109(3)/1/2016 व्यापार (ई–2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2024–सीमा ुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत **होटल और रेस्तरां** को आपूर्ति के लिए प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।	डीएएचडी का.ज्ञा. सं. एल–110109(3)/1/2016 व्यापार (ई–2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2024–सीमा ुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत **3 स्टार और उससे ऊपर संचालनात्मक होटल को आपूर्ति के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की यथा सं ोधित अधिसूचना के अनुसार प्रीमियम बतख मांस का** आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।
02074500	–बतखों का : –– अन्य, प्र ीतित	डीएएचडी का.ज्ञा. सं.	डीएएचडी का.ज्ञा. सं.

सं. सारंगी

		एल—110109(3) / 1 / 2016 व्यापार (ई—2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 13 / 2024—सीमा ुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत **होटल और रेस्तरां** को आपूर्ति के लिए प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।	एल—110109(3) / 1 / 2016 व्यापार (ई—2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 13 / 2024—सीमा ुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत **3 स्टार और उससे ऊपर संचालनात्मक होटल को आपूर्ति के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की यथा सं ोधित अधिसूचना के अनुसार प्रीमियम बतख मांस का** आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।

अधिसूचना का प्रभावः डीएएचडी का.ज्ञा. सं. एल—110109(3) / 1 / 2016 व्यापार (ई—2625) दिनांक 22.02.2024 के अनुसार और राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 13 / 2024—सीमा ुल्क दिनांक 06.03.2024 के तहत **3 स्टार और उससे ऊपर संचालनात्मक होटल** को आपूर्ति के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की यथा सं ोधित अधिसूचना के अनुसार प्रीमियम बतख मांस का आयात 'प्रतिबंधित' होगा। दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड के तहत अन्य आयात 'मुक्त' होंगे।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
16.3.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई—मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01 / 89 / 180 / 200 / एएम—02 / पीसी—2(क) / भाग—I / ई—31445 से जारी)